2019/00133

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

टहल सिंह बनाम संजय अग्रवाल तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 सीपीसी प्रकरण सं0 2/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
25.09.2019	प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 सीपीसी बाद रिपोर्ट बाद रिपोर्ट पेश हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 सीपीसी दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 15.10.2019 को पेश हो। [illegible]	1715
15.10.19	प्रार्थी के अधिवक्ता प्रस्तुत। तहसीलदार, श्रीगंगानगर प्रस्तुत। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 17.10.19 को पेश हो। [illegible]	
17.10.19	प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार श्रीगंगानगर उपस्थित। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 10.12.2019 को पेश हो।	
10.12.19	प्रार्थी के अधिवक्ता प्रस्तुत पत्रावली प्रस्तुत। अग्रिम कार्यवाही दिनांक 3/01/20 को पेश हो।	
3/1/20	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली दिनांक 6/1/20 को पेश हो।	
6/1/20	प्रार्थी अधिवक्ता प्रस्तुत पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 28/1/20 को पेश हो।	
28/1/20	प्रार्थी अधिवक्ता प्रस्तुत पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 24/2/20 को पेश हो।	
24/02/20	पीठासीन अधिकारी अवकाश प्रभार पर [illegible] कार्य में व्यस्त है। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 8/5/20 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

07.04.2026 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित / पत्रावली वास्ते बहस दिनांक २२/५/२०२६ को पेश हो।

२२/५/२६ बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ सके है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक मामलों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक २०.५.२६ को पेश हो।

२०.५.२६ अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अवगत करवाया कि उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट के प्रकरण संख्या 01/2019 अनवानी सरकार बनाम टहल सिंह के मुरब्बा नम्बर 10 की 0.265 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 11 की 0.466 हैक्टर कुल 0.731 हैक्टेयर की नाजायज काश्त के सम्बन्ध में उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट के आदेश दिनाक 22.02.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 16924/2019 अनवानी टहल सिंह बनाम स्टेट व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की हुई है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.04.2021 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उक्त एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 16924/2019 अनवानी टहल सिंह बनाम स्टेट व अन्य के विचाराधीन रहने तक विचाराधीन अपील को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनानुसार उक्त अपील को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश के इन्तजार में स्थगित किया जाता है। नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 16924/2019 अनवानी टहल सिंह बनाम स्टेट व अन्य का निर्णय होने पर उक्त अपील को पुनः नये नम्बर पर दर्ज करवाई जाने की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner